न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./47/2023

1. प्रेमदेवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति तैली निवासी ग्राम देवलियांकलां तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. सुशील पुत्र महादेव जाति बैरवा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
2. तेजू पुत्र भुवाना जाति बैरवा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
3. मुस्मात कौशल्या पत्नी विश्वास जाति त्रिपाठी निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय(विलोपित)
4. प्रहलाद पुत्र मांगीलाल जाति तैली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
5. रतन पुत्र मांगीलाल जाति तैली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
6. हजारी पुत्र मांगीलाल जाति तैली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
7. मुस्मात विमला पत्नी हरिसिंह जाति यादव निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांकः–26.12.2023

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– विष्णुदत्त शर्मा

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा देवलियाकलां पटवार क्षेत्र देवलियाकलां ए भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियाकलां के खाता सं0 539 में दर्ज खसरा नं. 5023 रकबा 0.46 है0 और खसरा नम्बर 5024 रकबा 0.06 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.52 है0** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 08 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01, 02, 04, 05, 06 एवं 07 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 12.12.2023 को पत्रावली में अप्रार्थी सं0 01, 02, 04, 05, 06 एवं 07 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 03 का नाम विलोपित बाबत् प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 03 का नाम दिनांक 31.10.2023 को पत्रावली पर से विलोपित किया गया। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी

भिनाय (केकड़ी)

देवलियांकलां के खाता खंख्या 539 संवत 2073—2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयां की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा देवलियाकलां पटवार क्षेत्र देवलियाकलां ए भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियाकलां के खाता सं0 539 में दर्ज खसरा नं. 5023 रकबा 0.46 है0 और खसरा नम्बर 5024 रकबा 0.06 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.52 हैं0 हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 1000/— रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी • भिनाय (केकड़ी) • सत्यमेव जयते

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)